354912/2021/CLR-LandMgt

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख मध्यप्रदेश, ग्वालियर

क्रमांक- 736/भू.प्र./2021 ग्वालियर,दिनांक- 29/07/2021

प्रति,

कलेक्टर
जिला-समस्त
मध्यप्रदेश

विषय: व्यपवर्तन से सम्बंधित क्षेत्र से अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न एवं उनके उत्तर।

व्यपवर्तन के सम्बन्ध में व्यपवर्तन की सूचना, बिना सूचना, बिना सूचना व्यपवर्तन, पूर्व में किये गए व्यपवर्तन प्रकरणों की डाटा एंट्री आदि मॉड्यूल भूलेख पोर्टल एवं आर.सी.एम.एस पोर्टल पर उपलब्ध कराये गए हैं| उनके उपयोग एवं उससे सम्बंधित समस्यायों के सम्बन्ध में क्षेत्र से बार-बार प्रश्न पूछे जाते हैं| इन प्रश्नों का संकलन एवं उनके विधि अनुरूप उत्तर तैयार किये गए हैं जो पत्र के साथ संग्लग्न है|

व्यपवर्तन से सम्बंधित प्रश्न एवं उनके उत्तर को भूलेख पोर्टल एवं आर.सी. एम. एस पोर्टल पर अपलोड किया गया है जो जनसामान्य को उपलब्ध है|

कृपया संग्लग्न प्रश्न एवं उनके उत्तर की प्रति सम्बंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उपलब्ध करावें तथा इनका प्रचार-प्रसार स्थानीय स्तर पर किया जाना सुनिश्चित करें|

संलग्न: व्यपवर्तन (Diversion) सम्बन्धी FAQ.

(ज्ञानेश्वर बी. पाटील)
आयुक्त
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश।

पृ. क्रमांक- 736/भू.प्र./2021 ग्वालियर, दिनांक- 29/07/2021
प्रतिलिपि:-

प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल।

आयुक्त
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश।

Scanned with CamScanner

व्यपवर्तन से सम्भंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न एवं उनके उत्तर

1. **व्यपवर्तन या डायवर्सन से क्या आशय है** ?
   - नियमानुसार डायवर्सन से आशय भूराजस्व के पुनर्निर्धारण से है | व्यवहारिक रूप से प्रत्येक भूमि /भूखंड का भू-राजस्व उसके उपयोग के अनुसार निर्धारित है जब किसी भूमि /भूखंड के उपयोग में परिवर्तन किया जाता है तो इसे व्यपवर्तन या डायवर्सन कहा जाता है, जैसे कृषि से आवासीय, आवासीय से व्यावसायिक तथा कृषि से व्यावसायिक आदि (मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता भूराजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण नियम 2018 के अनुसार)|
1. What is meant by diversion?
   - According to the rules, diversion refers to the reassessment of land revenue on change of land use. As per the Madhya Pradesh Bhu Rajasva Sanhita (Bhu Rajasva ka Nirdharan avam Punah Nirdharan) Niyam, 2018 , land revenue of a land parcel is recalculated with change of land use, like for example from agriculture to commercial use etc.
2. **डायवर्सन कब एवं किस स्थिति में किया जाना चाहिए** ?
   - डायवर्सन, किसी भी एक प्रयोजन में निर्धारित भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन में लाये जाने से पहले कराना चाहिए, जैसे कि कृषि से आवासीय, अथवा आवासीय से व्यवसायिक करने पर डायवर्सन किया जाना आवश्यक है
2. When and under what conditions should diversion be done?
   - Diversion shall be done when the land parcel marked for any one purpose is propsoed to be used for any other purpose, such as diversion from agriculture to residential, or from residential to commercial.
3. **डायवर्सन किस माध्यम द्वारा किया जा सकता हैं एवं प्रक्रिया कैसे पूर्ण की जा सकती हैं** ?
   - डायवर्सन की सम्पूर्ण प्रक्रिया राजस्व विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध है। यहाँ पर नागरिक/ किसान को स्वयं को रजिस्टर एवं लॉगइन करना होगा, उसके पश्चात् डायवर्सन की सूचना ऑनलाइन की जा सकती हैं। इस हेतु पोर्टल पर उपलब्ध “डायवर्सन ऑनलाइन प्रक्रिया” मैन्युअल में दर्शित प्रक्रिया का पालन करें।
3. By what means can diversion be done and how can the process be completed?
   - The entire process of diversion is available online on the Revenue Department's portal www.mpbhulekh.gov.in. Here the citizen / farmer will have to register and login, after that the intimation of diversion can be done online. For this follow the procedure shown in the “Diversion Online Process” manual available on the portal.

4. **व्यपवर्तन कराने हेतु कौन कौन से शुल्क देना होंगे** ?
   - मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण नियम, 2018 द्वारा स्थानीय निकाय के प्रकारों तथा उनके निवेश क्षेत्र के आधार पर व्यपवर्तन के प्रयोजन अनुसार प्रीमियम और भूराजस्व की दरें प्रति वर्गमीटर निर्धारित की गयी हैं। अत प्रीमियम राशि एक बार, एक वर्ष का भू-राजस्व, और यदि उस पर पंचायत उपकर देय हो तो पंचायत उपकर की राशि कोषालय में देय होती है। इसके साथ ही खसरा एवं नक्शा की प्रतिलिपि की फीस एवं पोर्टल शुल्क देना होगा।
4. What are the charges to be paid for getting the diversion done?

- According to the Madhya Pradesh Bhu Rajasva Sanhita (Bhu Rajasva ka Nirdharan evam PunahaNirdharan) Niyam, 2018, the rates of premium and land revenue per square meter have been fixed for the purpose of diversion based on the type of local bodies and their planning area. A one time premium amount, one year's land revenue, and if Panchayat Cess is payable on it, is payable in the Treasury. Along with this, fee for copy of Khasra and maps and portal fee will have to be paid.

5. डायवर्सन हेतु जमा की जाने वाली राशि की गणना कैसे करें ?

- **मध्य प्रदेश भूराजस्वा संहिता भू-राजस्वक का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण नियम**, 2018 अनुसूची क एवं ख द्वारा स्थानीय निकाय के प्रकारों तथा उनके निवेश क्षेत्र के आधार पर व्यपवर्तन के प्रयोजन अनुसार प्रीमियम और भूराजस्व की दरें प्रति वर्गमीटर निर्धारित की गयी हैं। पर लॉगइन पश्चात, डैशबोर्ड पर

5. How to calculate the amount to be deposited for diversion?

- According to the types of local bodies and their investment area, the rates of premium and land revenue per square meter have been fixed by the Madhya Pradesh Bhu Rajasva Sanhita (Bhu Rajasva ka Nirdharan evam PunahaNirdharan) Niyam, 2018 Schedule A and B.

6. **डायवर्सन हेतु किस माध्यम से राशि जमा की जा सकती है** ?

- **पोर्टल पर डायवर्सन हेतु की गई गणना अनुसार ऑनलाइन चालान द्वारा राशि जमा करने की सुविधा दी गई हैं जो नागरिक ऑनलाइन बैंकिंग के साधनों का उपयोग कर जमा कर सकता है।**

6. How can the amount be paid for diversion?

- According to the assessment done for diversion on www.mpbhulekh.gov.in portal, the facility of depositing the fees through online challan is provided. The challan can be paid using online banking by the citizen.

7. **क्या डायवर्सन शुल्क में प्रीमियम एक ही बार दिया जाता हैं** ?

- www.mpbhulekh.gov.in पोर्टल पर डायवर्सन हेतु की गई गणना अनुसार ऑनलाइन चालान द्वारा राशि जमा करने की सुविधा दी गई हैं जिसमे डायवर्सन के प्रयोजन अनुसार पर एक बार लगने वाली प्रीमियम राशि एवं एक वर्ष का भू-राजस्व (वार्षिक शुल्क) शामिल होता है, इसके उपरांत प्रतिवर्ष भू-राजस्व जमा किया जाना होगा जो कि इसी पोर्टल के माध्यम से जमा किया जा सकता है| भूमि उपयोग में परिवर्तन की दशा में करना चाहिए |

7. Is the premium paid once in the diversion fee?

- According to the assessment done for diversion on www.mpbhulekh.gov.in portal, facility has been given to deposit diversion fee through online challan, which includes one-time premium amount and one year land revenue (annual fee). After this, land revenue (annual fee) will have to be deposited every year, which can be deposited through this portal.

8. **क्या पूर्व से किसी एक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तित भूमि को किसी दूसरे प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन किया जा सकता है**?

- **हाँ**, यदि एक बार किसी एक प्रयोजन हेतु डायवर्सन किया जा चुका है तो वही प्रक्रिया अपनाकर पुन: उस भूमि को भिन्न प्रयोजन हेतु परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे–कृषि से औद्योगिक भूमि के डायवर्सन को वापस औद्योगिक से कृषि या अन्य में प्रयोजन हेतु परिवर्तित किया जा सकता है।

8. Can land previously diverted for one purpose be diverted for another purpose?
   - Yes, once the diversion has been done for any one purpose, then by adopting the same procedure, that land can be converted again for a different purpose. For example, the diversion of land from agriculture to industrial can be changed back from industrial to agriculture or for other purposes when the need arises.
9. **डायवर्सन कब किया जाना चाहिए**?
   - **डायवर्सन निर्माण के पूर्व किया जाना चाहिये** | निर्माण जिस भी प्रयोजन के लिए किया जा रहा है उस प्रयोजन के लिए डायवर्सन किया जाना चाहिये जैसे कि यदि कृषि भूमि पर आवासीय निर्माण का कार्य किया जाना है तो निर्माण कार्य शुरू करने से पहले कृषि से आवासीय डायवर्सन करना आवश्यक है |कृषि अनुसांगिक कार्य जैसे कि पशुचारा, अनाज संधारण आदि के लिये किये गए निर्माण पर डायवर्सन किया जाना आवश्यक नहीं है| परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि भूमि पर भूमि स्वामी द्वारा आवास प्रयोजन हेतु 200 वर्ग मीटर तक किया गया निर्माण एवं 40 वर्ग मीटर तक किया गया व्यवसायिक प्रयोजन का निर्माण को व्यपवर्तन से छूट प्रदान की गयी है।
9. When should diversion be done?
   - Diversion should be done before construction. For the specific purpose the construction is being done, diversion should be done for that purpose. Such as if residential construction is to be done on this agricultural land, then before starting the construction work, it is necessary to do residential diversion from agriculture. It is not required to do diversion on the construction done for agriculture related work like animal feed, food grain storage etc. Moreover, the construction done by the land owner on agricultural land in rural areas for housing purpose up to 200 square meters and construction done for commercial purpose up to 40 square meters has been exempted from diversion.
10. **क्या पहले से किसी अन्य प्रयोजन में ली जा रही भूमि या पहले से किये गए निर्माण का भी डायवर्सन किया जाना चाहिए**?
    - **हाँ**,यदि निर्माण या प्रयोजन पहले से कर लिया गया है और राजस्व विभाग के कर्मचारी या अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गयी है तो भूमि स्वामी व्यपवर्तन की सूचना ऑनलाइन कर सकता है और उसे ऐसा करना भी चाहिए।
10. Whether the land already being taken for any other purpose or the construction already done should also be diverted?
    - Yes, if the construction has already been done and no action has been initiated by the Revenue Department, then the land owner can intimate the revenue department about the diversion online.
11. **क्या डायवर्सन किया जाना जरूरी है,एवं नहीं किया जाने पर क्या कार्यवाही की जा सकती है**?
    - **हाँ**,यदि किसी भी एक प्रयोजन में निर्धारित भूमि का उपयोग भिन्नि प्रयोजन हेतु किया जा रहा है या करना चाहते हैं,तो नियम अनुसार डायवर्सन कराया जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता हैं तो विधि अनुसार आपके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।
11. Is diversion necessary to be done, and what action can be taken if it is not done?

- Yes, if the land earmarked for any one purpose is being used or wants to be used for a different purpose, then it is necessary to get diversion done according to the rules. If this is not done then action can be taken as per law.

12. **क्या व्यपवर्तन की सूचना के आवेदन को रद्द किया जा सकता है**?
    - **नहीं**, एक बार व्यपवर्तन की सूचना का आवेदन पूर्ण करने के उपरान्त उसे रद्द नहीं किया जा सकता है। आवेदन की पुष्टि के बाद उक्त भूमि को पूर्व प्रयोजन में लाने के लिए पुन:व्यपवर्तन की सूचना का आवेदन करना होगा इस स्थिति में प्रीमियम एवं भू-राजस्वक की देय राशि शून्य रहती है तथा आगामी वर्ष के लिये भू-राजस्व देय होगी |
12. Can an application for intimation of diversion be rejected?
    - No, once the application for intimation of diversion is completed, it cannot be revoked. After the confirmation of the application, in order to bring the said land to the previous purpose, application for re-diversion notice will have to be made, in which case the premium and land revenue payable remains zero and land revenue will be payable for the next year.
13. **क्या किसी खसरा क्रमांक के सम्पूर्ण क्षेत्रफल का व्यपवर्तन किया जाना आवश्यक है या आंशिक क्षेत्रफल का भी व्यपवर्तत किया जा सकता है**?
    - **नहीं**, किसी खसरा क्रमांक के सम्पूर्ण क्षेत्रफल का व्यपवर्तन किया जाना आवश्यक नहीं है उसके आंशिक क्षेत्रफल का भी व्यपवर्तन किया जा सकता है|
13. Is it necessary to convert the entire area of a Khasra number or can the partial area also be converted?
    - No, it is not necessary to divert the entire area of a Khasra number, its partial area can also be diverted.
14. **क्या एक ही खाते के विभिन्न खसरों का एक साथ व्यपवर्तन किया जा सकता है**?
    - **हाँ**, व्यपवर्तन की सूचना का आवेदन करते समय एक ही खाते के एक या एक से अधिक या खाते के समस्त खसरों को व्यपवर्तन के लिए चुना जा सकता है| परन्तु व्यपवर्तन की सूचना के आवेदन में एक से अधिक खातों को नहीं चुना जा सकता है प्रत्येक खाता के लिए पृथक-पृथक आवेदन करना आवश्यक है।
14. Can different Khasras of the same Khata be diverted simultaneously?
    - Yes, while applying for the notice of diversion, one or more than one or all the Khasras of the same Khata can be selected for diversion. But more than one Khata cannot be selected in the application of diversion notice, it is necessary to apply separately for each Khata.
15. **क्या अलग-अलग खातों के अलग-अलग खसरों का एक साथ व्यपवर्तन किया जा सकता है**?
    - **नहीं**, व्यपवर्तन की सूचना का आवेदन करते समय एक ही खाते के एक या एक से अधिक या खाते के समस्ती खसरों को व्यपवर्तन के लिए चुना जा सकता है| परन्तुत व्यपवर्तन की सूचना के आवेदन में एक से अधिक खातों को नहीं चुना जा सकता है प्रत्येक खाता के लिए पृथक-पृथक आवेदन करना आवश्यक है।
15. Can different Khasras of different Khata be diverted together?
    - No, while applying for the notice of diversion, one or more than one or all the Khasras of the Khata can be selected for diversion. Provided that not more than one Khata can be

selected in the application of diversion notice, it is necessary to make separate application for each Khata.

16. **क्या व्यपवर्तन की राशि को परिवर्तित किया जा सकता है**?
    - **व्यपवर्तन का शुल्क निर्धारण पोर्टल द्वारा किया जाता है**, जिसका भुगतान आवेदक के द्वारा किया जाता है| आवेदक द्वारा व्यपवर्तन का शुल्क को परिवर्तित नहीं किया सकता है लेकिन गणना में त्रुटि होने पर राजस्व विभाग के अनुभागीय अधिकारी द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है|

16. Can the amount of diversion be changed?
    - The fee for diversion is determined by the portal, which is paid by the applicant. The fee of diversion cannot be changed by the applicant but can be changed by the SDO of revenue department if there is an error in the calculation.

17. **व्यपवर्तन में समस्या आने पर कहा सम्पर्क किया जा सकता है**?

- व्यपवर्तन से सम्बंधित समस्यायों के निराकरण के लिये टोल फ्री नंबर 1800 233 6763 पर संपर्क किया सकता है तथा https://mpbhulekh.gov.in पोर्टल पर ग्रीवेंस सेक्शन में शिकायत भी दर्ज की जा सकती है |

17. Where to contact if there is a problem with diversion?
    - For redressal of problems related to diversion one can contact on toll free number 1800 233 6763 and complaint can also be logged in Grievance section on https://mpbhulekh.gov.in portal.

18. **पोर्टल पर व्यपवर्तन राशि के भुगतान के पश्चात् यह कैसे कन्फर्म किया जा सकता है कि भुगतान की राशि शासन के खाते में जमा की जा चुकी है** ?
    - **व्यपवर्तन के शुल्क का भुगतान ट्रेज़री के माध्**यम से होता है|अगर भुगतान सफल है तो इसकी जानकारी भूलेख तथा ट्रेज़री पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है|भूलेख पोर्टल के रिपोर्ट्स सेक्शन में कोषालय चालान खोजें में चालान संख्या, चालानशुल्क,CRN संख्या, BRN संख्या,उपभोक्ता का नाम तथा उपभोक्ता के मोबाइल नंबर द्वारा भुगतान की जानकारी खोजी जा सकती है|

18. After paying the diversion amount on the portal, how can it be confirmed that the payment amount has been deposited in the account of the government?
    - The payment of diversion fee is done through Treasury. If the payment is successful then its information can be obtained through Bhulekh and Treasury Portal. Search Treasury Challan in Reports section of Bhulekh Portal to find Challan Number, Challan Fee, CRN Number, Payment information can be searched by BRN number, consumer name and consumer's mobile number.

19. **उपयोगकर्ता ने व्यपवर्तन की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया गया परन्तु पोर्टल पर दर्शित नहीं हो रहा है,इस स्थिति में क्या पुनः भुगतान किया जाये**?
    - **पोर्टल के माध्यएम से किये गये भुगतान डेटा को** MP Treasury के साथ अपडेट करने में कभी-कभी समय लग सकता है। इस हेतु 24 घंटे प्रतीक्षा करना उचित होगा। पुन:भुगतान करने में जल्दी नहीं कराना चाहिए। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर पोर्टल पर उपलब्ध शिकायत दर्ज करने की सुविधा के माध्यम से अवगत कराना चाहिए।

19. The user has paid the amount of diversion online, but it is not showing on the portal, in this case the amount should be paid again?
    - It may take some time to update the payment data made through the portal with MP Treasury. It would be advisable to wait 24 hours for this. It is advised not to hurry for making of repeat payment. If such a situation arises, it should be informed through the ticket raising facility available on grievance section of the portal.

20. **व्यपवर्तन की सूचना का आवेदन तथा अन्य सबन्धित दस्तासवेज डाउनलोड नहीं हो रहे है**?
    - **व्यपवर्तन सुविधा का उपयोग सभी प्रकार के** browsers में किया जा सकता है परन्तु व्यपवर्तन अधिकतम सुविधापूर्ण उपयोगकर्ता अनुभव के लिए कंप्यूटर पर Mozila Firefox ब्राउजर का उपयोग करे| व्यपवर्तन से सम्बंधित समस्यायों के लिए इस पोर्टल (www.mpbhulekh.gov.in) पर उपलब्ध टोल फ्री नंबर्स 18002336763 पर संपर्क किया सकता।

20. Application for information of diversion and other related documents are not being downloaded?
    - The diversion feature can be used in all types of browsers but for the most convenient user experience, use the Mozilla Firefox browser on the computer. For problems related to diversion, one can contact on toll free numbers 18002336763 available on this portal (www.mpbhulekh.gov.in).

21. **क्या आवेदक का भूमिस्वामी होना अनिवार्य है**?
    - **नहीं**, अन्य व्यक्ति भी भूमि स्वामी के ओर से आवेदन कर सकता है।

21. Is it mandatory for the applicant to be a Bhumiswami?
    - No, anybody can apply on behalf of the land owner.

22. **क्या संस्था भूमि स्वामी के रूप में डायवर्सन के लिए आवेदन कर सकती है**?
    - **हां**,संस्था अनिवार्य दस्तावेज और जानकारी अपलोड करके आवेदन कर सकती है।

22. Can the organization apply for diversion as a land owner?
    - Yes, the institution can apply by uploading the mandatory documents and information.

23. **व्यपवर्तन सूचना हेतु आवेदन करते समय कौन-कौन से दस्तावेजों को प्रस्तुत करना आवश्यक है**?
    - **मुख्य रूप से पहचान प्रमाण**,पता प्रमाण,तथा व्यपवर्तन का स्केच आवश्यक हैं।

23. What are the documents required to be submitted while applying for Diversion Information?
    - Mainly identity proof, address proof, and a sketch of diversion are required.

24. क्या उपयोगकर्ता एक ही आवेदन में एक या अधिक व्यपवर्तन प्रयोजनों के लिए आवेदन कर सकता है?
    - हाँ, उपयोगकर्ता एक ही आवेदन में एक या अधिक व्यपवर्तन के प्रयोजनों के लिए आवेदन कर सकता है। पृथक-पृथक प्रयोजनों का क्षेत्रफल पृथक-पृथक बताया जाना अनिवार्य है।

24. Can a user apply for one or more diversion purposes in the same application?
    - Yes, the user can apply for one or more diversion purposes in the same application. It is mandatory to mention the area of different land uses separately.

25. **भूमि क्षेत्रफल का माप यदि एकड़/दशमलव/हेक्टेयर/वर्ग फुट में है**,क्या पोर्टल इस माप को स्वीकार करेगा?
    - नहीं, यहां पर क्षेत्रफल केवल वर्ग मीटर में ही भरा जा सकता है। क्षेत्रफल को परिवर्तित करने की सुविधा "क्षेत्र रूपांतरण"के रूप में पोर्टल पर दी गई है।

25. If the measurement of land area is in acre/decimal/ha/sq ft, will the portal accept this measurement?
    - No, the area here can be filled in square meters only. The facility to convert the area is given on the portal.

26. क्या डायवर्सन आवेदन करते समय पृथक से खसरा और नक्शा की प्रति आवश्यक है?
    - नहीं, उक्त प्रतियो का शुल्क आवेदन प्रक्रिया में शामिल है। आवेदन करने के साथ ही उक्त प्रतिलिपि स्वतः आवेदन के साथ संलग्न हो जाती हैं और आवेदक को भी उपलब्ध् होती हैं।

26. Is the copy of Khasra and Map required separately while applying for diversion?
    - No, the fee for these copies is included in the application process. Along with the application, the said copy automatically gets attached to the application and is also available to the applicant.

27. **क्या ऑफ़लाइन चालान का उपयोग व्यपवर्तन की सूचना ऑनलाइन देने के लिए किया जा सकता है**?
    - ऑफ़लाइन चालान जमा कर ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा पब्लिक उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध नहीं है। ऑफलाइन चालान के साथ आवेदन भौतिक रूप से संबंधित उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुतत करना होगा।

27. Can offline challan be used to report diversion online?
    - Facility to apply online by submitting offline challan is not available to public users. The application along with offline challan will have to be submitted physically before the concerned sub-divisional officer.

28. उपयोगकर्ता द्वारा व्यपवर्तन की सूचना का आवेदन गलत प्रयोजन अथवा गलत क्षेत्रफल चयन किये जाने की स्थिति में क्या रद्द किया जा सकता है?
    - नहीं|

28. Is cancellation of application possible in case of wrong purpose or wrong area being selected by the user?
    - No

29. व्यपवर्तन सूचना आवेदन के अनुमोदन के लिए समय सीमा क्या है?
    - ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है परन्तु व्यपवर्तन की सूचना उपखण्ड अधिकारी द्वारा 15 दिवस की अवधि में पुष्टि न किये जाने पर खसरा प्ररूप-एक के कालम-12 में उपखण्ड-अधिकारी पुष्टि हेतु निर्धारित अवधि उपरांत प्रवष्टि किये जाने के निर्देश हैं।

29. What is the time limit for approval of diversion information application?

- No such time limit is prescribed, but if the information of diversion is not confirmed by the sub-divisional officer within 15 days, then as per instructions, information of the diversion imtimation will be updated in the khasra document form P-2 in column number 12.

30. व्यपवर्तन सूचना आवेदन की स्थिति कैसे पता की जा सकती है?

- वेबसाइट www.mphulekh.com पर जाएं|

30. How can the status of Diversion Information Application be tracked?

- At Website www.mphulekh.com

31. क्या राजस्व दल द्वारा व्यपवर्तन आवेदन करने के पश्चात् भूमि का भौतिक निरीक्षण किया जायेगा ?

- नहीं , मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 की धारा 59 के अनुसार यदि आवश्यक होता है तो पुनर्निर्धारण किया जा सकता है |

31. Will the physical inspection of the land be done after the revenue team makes diversion application?

- No, according to section 59 of the Madhya Pradesh Land BhuRajasva sanhita (Bhu rajasva ka nirdharan tatha punahnirdharan) Niyam, 2018 reassessment can be done if necessary.

32. यदि किसी आवेदक ने नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्र में आ रही भूमि का डायवर्सन उस उपयोग में किया जिस उपयोग में वह भूमि नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं है, तो इस स्थिति में क्या होगा ?

- ऐसी स्थिति में यदि आवेदक द्वारा आवेदन दिया जाता है तो आवेदन उपखंड अधिकारी द्वारा पुष्ट किया जायेगा परन्तु अन्य नियमो / अधिनियमों के जिनका उल्लंघन हो रहा है उस से सबंधित कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा की जा सकती है | नियमो का पालन करने का दायित्व आवेदक का है|

32. If an applicant has diverted the land coming in the town and country planning area to the use in which the land is not approved by the TNCP depatment, then what will happen in this situation?

- In such a situation, if the application is made by the applicant, then the application will be confirmed by the sub-divisional officer, but action related to other rules / acts which are being violated can be taken by the competent authority. It is the responsibility of the applicant to follow the rules.

33. व्यपवर्तन के प्रकरण के स्वीकृत होने पर, यदि किसी खसरा नम्बरर की आंशिक भूमि का व्यपवर्तन किया गया है तो व्यपवर्तन कराने वाले के नाम के स्थान पर सभी खातेदारों के नाम नवीन खसरा में आ जाते हैं?

- डायवर्सन किसी खाते के एक भू-भाग का हो रहा है ,अतः उस खाते के सभी भूमिस्वामियों के नाम आएंगे ,किसी एक भूमिस्वामी का नहीं आएगा|

33. On the acceptance of the diversion case, if a part of the land of any Khasra number has been diverted, then the names of all the Khatedaar appear in the new Khasra on the establishment of the name of the person carrying out the diversion.

- Diversion is taking place in one part of Khata (account), so the names of all the landowners of that parcel will come, not any one landowner.

34. मेरी शामिल खाते की भूमि है ,जिसमे मेरे अलावा चार अन्य भूमिस्वामी हैं ,मैं अपने हिस्से की भूमि को डायवर्ट करता हूँ, तो डायवर्सन शुल्क केवल मुझ पर लगेगा या सभी भूमिस्वामियों पर आरोपित होगा ?

- उस भूमि पर आरोपित डायवर्सन शुल्क भी सभी भूमिस्वामियों पर देय होगा।

34. I have the land of my shared account, in which there are four other land owners apart from me, if I divert the land of my share, then the diversion fee will be charged only on me or will it be charged on all the landowners?
-The diversion fee levied on that land will also be payable on all the landowners.

35. **शामिल खाते की भूमि के एक भाग के अपने कब्जे वाली भूमि का मैं** डायवर्सन करना चाहता हूँ ,मुझे क्या कार्रवाई करना चाहिए ,ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो ?

- कब्ज़े वाली भूमि का बॅटवारा तहसील न्यायालय से कराना चाहिए | बॅटवारा अमल हो कर स्वयं के नाम पर होने के उपरांत ही एकल नाम से खसरे को डायवर्सन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए| WebGIS पोर्टल पर निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरांत 15 दिन उपरांत खसरे में भूमि व्यपवर्तन होने की प्रविष्टि होगी|

35. I want to do diversion of a part of the land in the shared account, what action should I take, so that there is no dispute in future?
- The division of the occupied land should be done by the Tehsil Court. Application should submit for diversion of khasra in single name only after the partition is implemented in one's own name. After depositing the prescribed fee on the WebGIS portal, entry of diversion of land will be updated into khasra colomn 12 after 15 days.

36. **डाइवर्टेड भूमि पर शुल्क**, शास्ति, ब्याज की राशि केवल मुझ से ही वसूल होगी या वसूली की कार्यवाई सभी सह खातेदारों विरुद्ध होगी?
- डायवर्सन नियम 16.2 के अंतर्गत उपखण्ड अधिकारी स्वप्रेरणा से या पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर धारा 59 की उपधारा 9 के अधीन कार्यवाई कर प्रीमियम ,पुनर्निर्धारित भू-राजस्व ,देय ब्याज एवं देय शास्ति की सम्मिलित राशि जमा करने हेतु सभी अभिलिखित भूमिस्वामियों को मांगपत्र भेज कर वसूली की कार्यवाई करेगा।

36. Will the amount of fees, penalty, interest on the diverted land be recovered only from me or will the recovery action be against all owners of account?
- Under the Diversion Rule 16 (2), the Sub-Divisional Officer on his own motion or on the basis of the Patwari report, taking action under sub-section (9) of section 59, to deposit

the amount of premium, reassessed land revenue, interest payable and penalty payable. Will send recovery action.

37. **शामिल खसरों पर बिना सूचना व्यपवर्तन के प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय सभी खा**तेदारो पर या एक पर प्रकरण दर्ज किया जाये |
    - खसरे में उल्लेखित सभी अभिलिखित भूमिस्वामियों के नाम पर प्रकरण बनाये जाएंगे |

37. While submitting the report on the involved khasra without diversion, case should be registered on all the account holders or on one.
    - Cases will be made in the name of all the landowners mentioned in the khasra record.

38. **व्यपपवर्तन पश्चात यदि सभी खातेदारों के नाम खसरो पर है उस स्थिति में क्या एक खाताधारक भूमि को विक्रय कर सकता है**|
    - ऐसी स्थिति में नियमानुसार पहले खाताधारक उस खाते के बाकी खसरों से हक़ त्याग करे, तत्पश्चात विक्रय किया जा सकता है|

38. After diversion, if the names of all the account holders are on Khasras, in that case can one account holder sell the land?
    - In such a situation, according to the rules, first the account holder should give up the rights from the rest of that account, after that sale can be done.

39. **यदि मैं अपनी भूमि व्यपवर्तित कर लूं और शासन को सूचना न दूँ** ,तो क्या कार्यवाई हो सकती है ?
    - डायवर्सन नियम 16 (1) अनुसार "पटवारी या नगर सर्वेक्षक प्रति वर्ष अपनी अधिकारिता के अंदर समस्त सर्वेक्षण संख्यांक तथा भूखण्ड संख्यांकों का निरीक्षण करेंगे| ऐसे निरीक्षण के समय ऐसे प्रत्येक प्रकरण की रिपोर्ट जिसके व्यपवर्तन की सूचना भूमिस्वामी /भूमिस्वामियों ने नहीं दी है या नियम 11 के अधीन असत्य सूचना दी है प्ररूप- दो में उपखण्ड अधिकारी को देंगे। " स्पष्ट है कि पटवारी ऐसे सभी भू खण्डों के भूमिस्वामियों के भूखण्डों की व्यपवर्तन रिपोर्ट देने को बाध्य है जिसकी सूचना भूमिस्वामी/भूमिस्वामियों ने नहीं दी है। पटवारी द्वारा गश्त दिनांक तक किसी भूखंड के सम्पूर्ण व्यपवर्तित भाग की व्यपवर्तन रिपोर्ट उस भूमि पर दर्ज सभी भूमिस्वामियों के विरुद्ध प्रस्तुत करेगा|(प्रकरण बनाते समय कब्ज़ा किस भूमिस्वामी का है ये महत्वपूर्ण नहीं है , क्यूंकि व्यपवर्तन भूमि का हो रहा है अतः उस भूमि पर दर्ज सभी भूमिस्वामियों का नाम नियमानुसार आएगा।

39. What action can be taken if I divert my land and do not inform the government?
    - According to Diversion Rule 16(1)" Patwari or city surveyor shall inspect all survey numbers and plot numbers withing his jurisdiction every year. If false information has been given under section 11, or information has not been given for such cases the sub-divisional officers will provide the report in Form-2. " It is clear that Patwari is obliged to give diversion report of the plots of the landowners of all such plots, whose information has not

been given by the Bhumiswami/ Bhumiswami. The diversion report of the entire diverted part of a plot by the Patwari till the date of patrolling all the landowners recorded on that land. (while making the case, it is not important which landowner is in possession, because diversion of land is taking place, so the names of all the landowners registered on that land will come as per rules.

40. पटवारी द्वारा बिना सूचना व्यपवर्तन का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर जब तक उसका निराकरण न हो जावे तब तक उस खसरा नम्बर से संबंधित अन्य बिना सूचना व्यपवर्तन के प्रतिवेदन नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं।

- ऐसे प्रकरणों में पटवारी द्वारा प्रतिवेदन बनाते समय निम्नलिखित बिन्दुओ का ख्याल रखना चाहिए|

1) शामिल खाते का सम्पूर्ण रकबा बिना सूचना व्यपवर्तित हुआ है, लेकिन मौके पर सभी का कब्ज़ा पृथक पृथक है तो शामिल खाते के भूमिस्वामियों के सहमति से बंटवारा प्रकरण बनाना चाहिए और सभी के खाते पृथक पृथक होने के उपरांत बिना सूचना का व्यपवर्तन प्रकरण दर्ज किया जा सकता है|
2) यदि उपरोक्त बिंदु 1 की कार्यवाही संभव नहीं है तो उस खसरे की जितने रकबे का व्यपवर्तन हुआ है उस रकबे का शामिल खाते में उल्लेखित सभी भूमिस्वामी पर प्रकरण दर्ज किया जा सकता है|

ऐसे प्रकरणों के स्थायी समाधान हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाना चाहिए:-

(एक) भविष्य में होने वाले नामांतरण के आदेश शामिल सरीक दर्ज करने वाले न हों।
(दो) वर्तमान् में जिन खातों में कुटुम्ब से भिन्न सहखातेदार दर्ज हैं और मौके पर वह भूमि कृषि भिन्न प्रयोजन में उपयोग में ली जा रही है तो उसके बिना सूचना व्यपर्वतन के प्रतिवेदन बनाने के स्थान पर बंटवारा के प्रकरण बनाकर प्रत्येक भू-खण्डधारी को पृथक-पृथक खातेदार बनाया जावे। उल्लेखनीय है कि ऐसे आदेश के अमल करने में WebGIS में तरमीम की अनिवार्यता नहीं है।
(तीसरा) इस तरह के खसरा/खाते के समस्त रकबा का प्रतिवेदन बिना सूचना व्यपवर्तन मॉड्यूल में पटवारी द्वारा बनाया जावे न कि एक प्लाट धारक का।

40. On submitting the report of diversion without intimation by the Patwari, until this application is resolved, others application for diversion without intimation related to that Khasra number are not permitted to be submitted in webgis.

- In such cases, the following points should be kept in mind while preparing the report by the Patwari.

1) The entire area of the shared account has been diverted without notice, but on the spot, the possession of all is separate, then the partition case should be made with the consent of the landowners of the involved account and after the separation of all the accounts, diversion without intimation case can be filed.
2) If action of point 1 above is not possible, then a case can be registered against all the Bhumiswamis mentioned in khasra's area that has been diverted.

The following procedure should be adopted for permanent solution of such cases:-

One) Future orders of mutations should not mention the joint owners.

Two) At present, in the accounts in which co-owners other than family are registered and on the spot that land is being used for other purposes, then instead of making a report of diversion without information, case of partition shall be initiated making a separate account for each plot holder.

Three) In such cases, Diversion without Intimation report of complete area of such Khasra/Khata should be made by the Patwari in the Diversion without intimation module and not of a single plot holder.